REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2024

"रीवा जिले के ग्रामीण विकास बैंकों में ऋण प्रबंधन : एक अध्ययन"

दिव्या पाण्डेय[1] , डॉ. संजय शंकर मिश्रा[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तथा सफलता देशी उत्पाद में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सर्वाधिक व्यक्तियों की आजीविका का साधन मिलता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त ऋण सहायता मात्रा और लागत दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यकता के अनुकूल हो। ग्रामीण क्षेत्र शताब्दियों से उपेक्षित रही है, किन्तु बैंकों के राष्ट्रीकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में ग्रामीण अंचलों के गरीब परिवारों की साख संबंधी जरूरतों को पूर्ण करने हेतु इन बैंकों की स्थापना की गई है। अतः रीवा जिले में ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशिष्ट रूप से ग्रामीण और ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। ग्रामीण बैंक एक्ट की प्रस्तावना में सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इसकी स्थापना कृषि, व्यापार, उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्र की अन्य उत्पादक प्रक्रियाओं हेतु साख सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना है।

मुख्य शब्द– ऋण प्रबंधन, ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास, आर्थिक विकास एवं व्यवसाय।

प्रस्तावना –

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आज भी लगभग तीन चौथाई आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है और उनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि व ग्रामीण कुटीर परम्परागत उद्योग हैं। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग कहा है कि भारत गांवों में बसता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ही सच्चे अर्थों में भारत का वास्तविक विकास होगा, यह न केवल सार्थक है, अपितु वर्तमान भारत के निर्माण का यह एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु भी है। चूंकि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य करना तथा इससे संबंधित वाणिज्यिक कार्यों को करना भी है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि कार्य भारत का आर्थिक आधार भी है तथा देश के लिए कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के सभी प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्त करता है। इस दृष्टिकोण से जिले के ग्रामीण विकास को प्रमुखतः कृषि सुधार व विकास के रूप में देखा जाना चाहिए, तभी देश का वास्तविक मायने में विकास सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् से ही समय–समय पर ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है, यद्यपि शासन द्वारा संचालित किये गये विभिन्न कार्यक्रम

ग्रामीण कृषि कार्य के आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव लाये हैं, इसके बाद भी वास्तविक विकास का प्रतिफल सामान्य रूप से मानवीय जन–जीवन को अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सका है।

कृषि के क्षेत्र में नवीन अन्वेषण/खोज तथा आधुनिकता के प्रति कृषकों का जवाब सन्तोषजनक नहीं रहा है, रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की इस कमी का प्रमुख कारण यह रहा है कि आज भी निचले स्तर पर वित्तीय संसाधनों की कमी है और यह अनुभव किया गया है कि नवीन संसाधनों से सुसज्जित कृषक वर्ग इस विकास योजना के लाभ को प्राप्त करने में सक्षम है, अपितु वित्तीय कमी के कारण निर्धन व गरीब कृषक इस लाभ से वंचित रहे हैं। इस प्रकार वित्त की कमी/अभाव के कारण नवीनीकरण के माध्यम से बदलाव लाने में बहुत बड़ी बाधा है। जिले के भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन कृषक, ग्रामीण कारीगर तथा ग्रामीण जनसंख्या के दूसरे निर्धन व कमजोर वर्ग पूँजी वित्त की कमी के लाभों से वंचित होकर अपना जीवन जीने को विवश है, अतः रीवा जिले के ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता उपेक्षित है। इसके लिए ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण और कृषि विकास करना है, क्योंकि ग्रामीण एवं कृषि विकास दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं और कृषि विकास किये बगैर ग्रामीण विकास कदापि नहीं किया जा सकेगा, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण व कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के स्थापना की घोषणा एम. नरसिंहम समिति ने की।

उद्देश्य –

प्रत्येक शोध आलेख का एक निश्चित व निर्धारित उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के अनुसंधानकर्ता का कोई भी महत्व नहीं निकलता तथा उपलब्ध सूचना या जानकारी चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण व अनिवार्य क्यों न हो, व्यर्थ ही होता है। प्रायः प्रत्येक शोध पत्र का उद्देश्य किसी भी समस्या के आकलन का कार्य करना, समस्या के कारणों को स्पष्ट करने के साथ समस्याओं के सफलतम निदान हेतु आवश्यक एवं उपयोगी उपाय सुझाना भी आवश्यक होता है। इसी कारण शोधकर्ता ने शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है–

- जिले के ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण–प्रबन्धन व्यवस्था पर प्रकाश डालना इस शोध आलेख का प्रमुख उद्देश्य है।
- जिले के ग्रामीण विकास बैंकों के संसाधनों पर प्रकाश डालना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- इस शोध आलेख के माध्यम से जिले के ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्त सुविधाओं का उपयोग एवं प्रभावोत्पादकता का अध्ययन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर शोध आलेख को प्रस्तुत करने का अकादमिक प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

परिकल्पना –

सामाजिक शोध में परिकल्पनाओं का निर्माण शोध आलेख की समस्या के चयन के आगे की एक प्रमुख कड़ी है, जो शोध आलेख की समस्याओं को और अधिक सुस्पष्ट एवं निश्चित करती है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने कुछ प्रमुख परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जो क्रमशः निम्नानुसार है–

- ग्रामीण ऋण–प्रबन्धन की व्यवस्था में ग्रामीण विकास बैंकों की भूमिका सराहनीय है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
- ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण कृषकों को साख की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर शोध पत्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि –

प्रस्तावित शोध आलेख में प्रयोग किये जाने वाले समंकों को प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है। प्राथमिक समंकों का संग्रहण मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 500 कृषक परिवारों के मुखिया/सदस्य/रहवासियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अनुसूची का प्रयोग करके

किया गया है। जिसके लिए सर्वेक्षण अवलोकन प्रविधियों का भी प्रयोग किया गया है। जबकि द्वितीय समंकों का संकलन ग्रामीण विकास बैंकों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, साहित्यों आदि का उपयोग कर एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक समंकों का संकलन करने के उपरान्त उन्हें सरल स्वरूप देने के लिए उनका समूहीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन इत्यादि के माध्यम से यथार्थ परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण –

रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण–प्रबन्धन व्यवस्था की एक विशेष भूमिका होने के कारण इनके द्वारा अपने स्थापना काल से वर्तमान समय तक उन्नति के नवीन आयामों को स्थापित किया गया है। ग्रामीण विकास बैंक अपनी स्थापना से अब तक की अल्प समयावधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्द्ध–नगरीय एवं ग्रामीण हिस्सों में वित्तीय सुविधाओं को अधिक से अधिक मुहैया करवाये जाने के दृष्टिकोण से अपनी शाखाओं को तीव्र गति से विस्तारित कर रही हैं। जिले के ग्रामीण विकास बैंकों की ऋण–प्रबन्धन व्यवस्था, संसाधनों एवं वित्त सुविधाओं की वास्तविकता का आकलन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के 500 हितग्राहियों का चयन कर उनसे सर्वेक्षण करते समय अनुसूची के माध्यम से उपरोक्त के संबंध में प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है जिसे तालिका में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जो इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक–1
जिले के ग्रामीण विकास बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान का विवरण

क्र.	विवरण	हितग्राहियों से प्राप्त अभिमतों का विवरण			
		हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	ऋण प्रबन्धन की उचित व्यवस्था है	397	79.40	103	20.60
2.	ग्रामीण विकास बैंकों में संसाधनों की समुचित व्यवस्था है	409	81.80	91	18.20
3.	ग्रामीण विकास बैंक की वित्त सुविधाओं का उचित उपयोग	436	87.20	64	12.80
4.	ग्रामीण विकास बैंकों में साख की उचित सुविधा	422	84.40	78	15.60
	कुल योग	1664	83.20	336	16.80

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

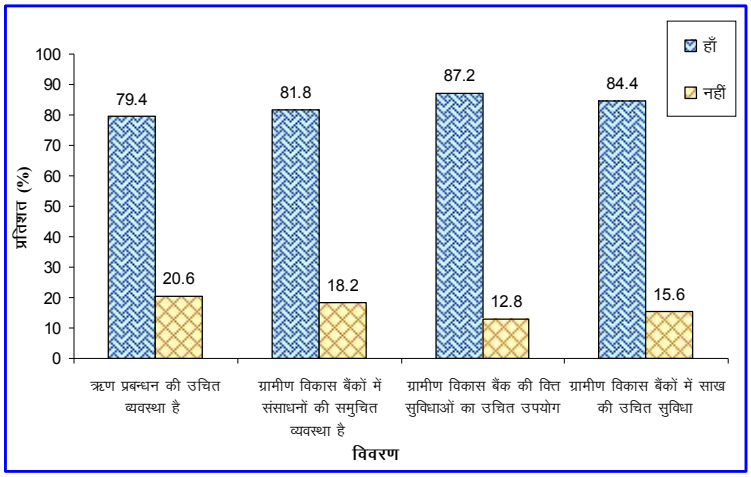

आरेख क्रमांक–01 : जिले के ग्रामीण विकास बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान का विवरण

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि जिले के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण प्रबंधन की उचित व्यवस्था है जिसके लिए 79.40 प्रतिशत हितग्राहियों ने अच्छा और 20.60 प्रतिशत हितग्राहियों ने उचित व्यवस्था न होने को बतलाया है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास बैंकों में ग्रामीण अंचलों के विकास से संबंधित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने के लिए 81.80तिशत हितग्राहियों ने हाँ और 18.20 प्रतिशत हितग्राहियों ने नहीं में अपना अभिमत प्रदान किया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास बैंकों की वित्त सुविधाओं की उचित व्यवस्था के संबंध 87.20 प्रतिशत हितग्राहियों ने अनुकूल एवं 12.80 प्रतिशत हितग्राहियों ने सकारात्मक अभिमत प्रदान किया है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास बैंकों में साख सुविधाओं की उचित व्यवस्था होने के लिए 84.40 प्रतिशत हितग्राहियों ने सकारात्मक और 15.60 प्रतिशत हितग्राहियों ने नकारात्मक में अपना अभिमत प्रदान किया है। अतः निष्कर्ष रूप में ग्रामीण विकास बैंकों के हितग्राहियों के अभिमतों का अध्ययन करने से सुस्पष्ट होता है कि इनके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए उचित व्यवस्थायें की जा रही है, लेकिन अधिकांश कृषकों का इनका उचित ज्ञान व भय के कारण इके संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

निष्कर्ष –

ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर की वजह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही है, अपितु फिर भी जिले के ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और इसमें कृषकों की साख सुविधाओं को भी बैंकों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम ब्याज दर पर ग्रामीण कृषकों, मजदूरों, श्रमिकों एवं कारीगरों को ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें भी स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अतः वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि ग्रामीण अंचलों को आर्थिक विकास की सतत् धारा से जोड़कर उनका विकास किया, ताकि जिले के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास कदापि नहीं किया जा सकेगा, अतः इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास बैंकों का कार्य करने की अत्यन्त जरूरत है, ताकि ग्रामीण अंचलों का भी आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ –

1. लाल, प्रो. एस.एन. एवं लाल. डॉ. एस.के. – भारतीय अर्थव्यवस्था, शुभम पब्लिशर्स, प्रयागराज (उ.प्र.), वर्ष 2020
2. देसाई, भैरव एच. – राज्य भूमि विकास बैंक का वित्तीय सम्पादन : एक अध्ययन, कोआपरेटिव प्रास्पेक्टिव, वर्ष 2010
3. जैन, वी.एम. – शोध प्रविधि, त्रिपालिया बाजार जयपुर, राजस्थान, वर्ष 2006
4. खन्ना, एम.एस. – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्यवसाय का विकास, योजना वर्ष 2015
5. ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट, केन्द्र सरकार, वर्ष 2019